

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर सभाग जबलपुर

क्रमांक 24 /समन्वय शाखा / 2022 जबलपुर दिनांक 01/02/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक,
सदस्य सचिव स्थानीय सलाहकार समिति,
पेंच टाइगर रिजर्व,
सिवनी।

बिषय- दिनांक 07/01/2022 को आयोजित स्थानीय सलाहकार समिति पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी म.प्र. की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदन बावद ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र/मा.चि./192 सिवनी दिनांक 12/01/2022

स्थानीय सलाहकार समिति पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की आयोजित बैठक दिनांक 07/01/2022 का कार्यवाही विवरण का कमिश्नर/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन पश्चात् संलग्न प्रेषित है । कृपया सदस्य सचिव की हैसियत से जारी करने का कष्ट करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


संयुक्त आयुक्त (विकास)
जबलपुर सभाग जबलपुर

—: दिनांक 07 जनवरी 2022 को आयोजित स्थानीय सलाहकार समिति,
पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी (म.प्र.) की बैठक का कार्यवाही विवरण :-

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के लिये गठित स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी 2022 को आयुक्त जबलपुर संभाग की अध्यक्षता में इको सेन्टर कर्माझिरी, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में आयोजित हुई इस बैठक में निम्नानुसार पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित हुये।

1. श्री बी. चन्द्रशेखर, आयुक्त जबलपुर संभाग
2. श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, सदस्य सचिव
3. श्री राहुल हरिदास फटिंग कलेक्टर सिवनी
4. श्री अर्जुन ककोडिया विधायक विधान सभा बरघाट
5. श्री सुजीत सिंह चौधरी विधायक विधान सभा चौरई
6. श्री ओमप्रकाश सनोडिया अनुविभागीय अधिकारी चौरई
7. श्री एच. के. घोरमारे अनुविभागीय अधिकारी कुरई
8. श्री भरत सोलंकी, उपवनमण्डलाधिकारी छिन्दवाड़ा प्रतिनिधि
9. श्री अखिलेश मिश्रा पशुचिकित्सा अधिकारी पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी
10. श्री मा. असद खान, प्रबंधक एम.पी.टी. आवरधानी (क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. राज्य पर्यटन विकास विभाग जबलपुर के प्रतिनिधि)
11. श्री संदीप सिंह प्रतिनिधि रिसोर्ट एसोसिएशन, टुरिया
12. श्री वनराज जाड़ेजा सदस्य म.प्र. टाइगर फाउन्डेशन सोसायटी भोपाल एवं अध्यक्ष ग्रामोद्योग ग्राम उत्थान समिति छिन्दवाड़ा

अन्य उपस्थित गण—

13. श्री अरविंद यादव, संयुक्त आयुक्त जबलपुर
14. श्री अधर गुप्ता उपसंचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी
15. श्री पार्थ जैसवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी
16. श्री बी. पी. तिवारी सहायक वन संरक्षक पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी
17. श्री मति भारती ठाकरे सहायक वन संरक्षक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी
18. श्री आशीष पाण्डेय अधीक्षक, पेंच मौगली अभ्यारण्य सिवनी
19. श्री जी. एस. शर्मा तहसीलदार कुरई
20. श्री एस. एस. परतेती एस.एल.पी. सिवनी
21. श्री सुरेश सोनी सबइंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी. सिवनी
22. श्री ए. एस. अवस्थी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सिवनी
23. श्री राजेश परते जनसंपर्क विभाग सिवनी

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा क्रमबद्ध रूप से परिचय प्राप्त किया गया। मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, सदस्य सचिव स्थानीय सलाहकार समिति, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, सदस्य सचिव द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में संचालित पर्यटन गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

तत्पश्चात् बैठक में विगत स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.10.2021 में लिये गये निर्णय के पालन प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा की गई।

एजेण्डा क्रमांक 01 :- 28.10.2021 में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा

एजेण्डा क्रमांक 02 :- स्थानीय व्यक्तियों को 80% रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी कुरई द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के समय होटल/रिसोर्ट में स्थानीय व्यक्तियों के रोजगार का प्रतिशत 63% था तथा अब 70% होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विगत 03 माहों में भी 80% स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध न कराये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा स्थानीय शब्द को परिभाषित करते हुए यह बताया गया कि स्थानीय का मतलब बफर के ग्राम एवं उनकी तहसील तक ही सीमित माना जावेगा तथा 80% से कम स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार न देने वाले होटल/रिसोर्ट एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधि प्रतिष्ठानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। जिन रिसोर्ट/लॉज/होटल व अन्य व्यवसायिक गतिविधि प्रतिष्ठानों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया गया है उन्हें 02 माह के भीतर लक्ष्य की पूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही कलेक्टर सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक 03 :- इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु ग्राम टुरिया के स्वसहायता समूह की 26 महिलाओं को चिन्हित किया गया है एवं निष्पादन संयंत्र तैयार किया जा चुका है। वेस्ट डिस्पोजल के संग्रहण एवं निष्पादन हेतु होटल/रिसोर्ट की धारण क्षमता (प्रति रूम) के अनुसार राशि निर्धारित करते हुए पंचायत में एक कोष स्थापित कर वेस्ट डिस्पोजल के संग्रहण एवं निष्पादन कार्य 01 माह के भीतर प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रारम्भ में अपशिष्ट पदार्थ के परिवहन हेतु वैकल्पिक रूप से ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग किया जावेगा। निर्धारित दर के अनुसार राशि पंचायत कोष में जमा करने का दायित्व संबंधित होटल रिसोर्ट संचालकों का होने एवं स्वसहायता समूह की महिलाओं को उनके परिश्रमिक का भुगतान पंचायत के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी, रिसोर्ट एसोसिएशन टुरिया)

एजेण्डा क्रमांक 04 :- होटल/लॉज/रिसोर्ट वन अधोसंरचना निर्माण के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र आवेदनों के निराकरण हेतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के अधिसूचना के अनुसार कोर क्षेत्र की सीमा से 0 से 1 किमी. में व्यवसायिक निर्माण अनुमत्य नहीं है एवं 1 KM से इको सेंसिटिव जोन तक पात्र आवेदकों के आवेदन पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के मास्टर प्लान के अनुमोदित होने तक अनुमति जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया तथा इको सेंसिटिव जोन की सीमा से बाहर के आवेदनों पर गठित समिति मौका निरीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ प्रकरण मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक/सदस्य सचिव स्थानीय सलाहकार समिति को प्रस्तुत करेगी तथा मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक प्रकरण के परीक्षण कर 07 दिवस के भीतर प्रकरण में अनुमति जारी किये जाने हेतु संबंधित कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।

(कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक एवं समिति सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक 05 :- नवीन होटल/लॉज/रिसोर्ट व अन्य अधोसंरचना के निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्डों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कराने की जानकारी क्षेत्र संचालक एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रदाय की गयी।

एजेण्डा क्रमांक 06 :- नवीन होटल/लॉज/रिसोर्ट व अन्य अधोसंरचना के निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्डों की जानकारी परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से समस्त होटल/लॉज/रिसोर्ट व अन्य अधोसंरचना के संचालकों को उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की गयी है।

एजेण्डा क्रमांक 07 :- बिना अनुमति के पूर्व से निर्मित होटल/लॉज/रिसोर्ट के अपात्र होने पर नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे 04 प्रकरण हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है एवं मौका निरीक्षण कर नार्मस के अनुरूप अपात्र पाये जाने पर संबंधितों को स्थगन आदेश जारी किया गया है। ऐसे होटल/लॉज/रिसोर्ट जिनके द्वारा स्थगन आदेश के बाद भी कार्य को रोका नहीं गया है उनके विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं तथा दूरी की वास्तविक माप ज्ञात करने हेतु क्षेत्र संचालक पंच टाइगर रिजर्व द्वारा बताया गया कि संबंधित की भूमि को जो निकटतम बिन्दु हो उस स्थान का जियो कॉर्डिनेट लेकर कार्यालय क्षेत्र संचालक पंच टाइगर रिजर्व में लगे GIS Software में परीक्षण कराया जा सकता है जिससे वास्तविक दूरी ज्ञात हो सकेगी।

(कार्यवाही कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी/सहायक वनसंरक्षक समिति सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक 08 :- बिना अनुमति के पूर्व से निर्मित होटल/लॉज/रिसोर्ट को स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित बिल्डिंग नार्मस का पालन करना अनिवार्य करने में सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा क्रमांक 09 :- बफर/कोर क्षेत्र प्रवेश द्वार रुखड़/मासुरनाला में 16, खवासा/तेलिया में 40 एवं कर्माझिरी में 02 नवीन वाहनों इस प्रकार कुल 58 वाहनों का पर्यटन हेतु पंजीयन किया गया है जिसका सर्व समिति से अनुमोदन किया गया। वर्गवार वाहनों के पंजीयन के विश्लेषण में यह पाया गया कि सामान्य वर्ग के 47, पिछड़ा वर्ग के 133, अनुसूचित जनजाति के 26 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 10 वाहन इस प्रकार कुल 216 वाहन पर्यटन कार्य में पंजीकृत किये गये हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति वर्ग के स्थानीय व्यक्तियों के वाहनों का पंजीयन सामाजिक जनसंख्या के अनुपात में न होना पाया गया। अतः यह निर्णय लिया गया कि इसके पश्चात तब तक केवल अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के स्थानीय लोगों के वाहनों का ही पंजीयन किया जावे जब तक कि उस क्षेत्र में सामाजिक जनसंख्या के अनुपात अनुसार इस वर्ग के वाहनों की संख्या बराबर न हो जावे।

(कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक पंच टाइगर रिजर्व,सिवनी)

एजेण्डा क्रमांक 10 :- अन्य मुद्दे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

- पारिस्थितिक संवेदी जोन में पूर्व से बने होटल/लॉज/रिसोर्ट के मरम्मत कार्य हेतु अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा किये गये निर्माण में किसी प्रकार का विस्तारीकरण नहीं किया जावेगा। तथा वर्ष 2014 के बाद 10% से ज्यादा निर्माण कार्य किया गया है तो उसे नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही कलेक्टर सिवनी)

- रिसोर्ट में भी क्षेत्र (तहसील) के सामाजिक अनुपात के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में संबंधित SDM आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी कुरई/चौरई)

- पर्यटन कार्य में एक ही व्यक्ति के नाम से एक से अधिक वाहन का पंजीयन किया गया है ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर एक परिवार से एक ही स्थानीय व्यक्ति के वाहन का पंजीयन किया जावे।

(कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक पंच टाइगर रिजर्व, सिवनी)

- पेट्रोल रहित इलेक्ट्रिक वाहन कोई चलाना चाहता है तो उसका पंजीयन प्राथमिकता पर किये जाने का निर्णय लिया गया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा म.प्र. राज्य पर्यटन निगम को एक वाहन प्रायोगिक तौर पर लगाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक एवं म.प्र. राज्य पर्यटन निगम)

- ग्राम टुरिया में पंचायत द्वारा निर्मित शापिंग कॉम्प्लेक्स में इको फ्रेंडली संरचना का निर्माण किया जावे एवं बाजार में उपलब्ध भवन का उपयोग कर स्थानीय समुदाय द्वारा स्थानीय उत्पाद/मकके के उत्पाद रख कर विक्रय किया जावे जिसका प्रचार प्रसार होटल/लॉज/रिसोर्ट संचालकों के द्वारा किया जावेगा। यह कार्यवाही लगभग 01 माह के भीतर पूर्ण कर ली जावे।

(कार्यवाही कलेक्टर सिवनी)



(बी० चन्द्रशेखर)

आयुक्त जबलपुर संभाग
एवं अध्यक्ष स्थानीय सलाहकार
समिति सिवनी



(अशोक कुमार मिश्रा)

भावसे

सदस्य सचिव

स्थानीय सलाहकार समिति

एवं

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक,
पंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)